तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.02.2018	वकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किए प्याऊ की भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि मोके पर हमारा कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत जांच की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी खारिज की जावे। बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल एवं दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी के संलग्न जो नक्शा प्रस्तुत किया, उसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टे पर न तो कोई प्रस्ताव अंकित है एवं न ही पट्टा संख्या अंकित है। ग्राम पंचायत कार्यालय में किसी प्रकार का रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी का यह कथन है कि जैर निगरानी पट्टा प्याऊ की भूमि पर बना है, अतः इस स्थिति में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है। परिणाम स्वरूप निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत अमरपुरा द्वारा भंवरी पत्नी नीरा जाति मेहरात निवासी सराधना के पक्ष में जारी मिसल संख्या 13/93–94 में दिनांक 10.12.1993 को जारी पट्टा संख्या ...... को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत अमरपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे यह जांच करें कि उक्त भूमि आबादी की है अथवा नहीं ? आबादी में होने की स्थिति में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। **अति. जिला कलक्टर, पाली** अति॰ जिला कलक्टर, पाली	